बिहार विधान परिषद

(विधान परिषद् का 192वां बजट सत्र)

17 जुलाई 2019

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

- 20

अनुशासनिक कार्रवाई कब तक

*172 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

सामान्य प्रशासन :-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार के संकल्प संख्या – 1552 दिनांक – 09.11.2015 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को चार लाख अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान किये जाने का आदेश निर्गत किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि तीन वर्ष से अधिक बीतने के बावजूद भी आज तक विभाग द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी को पत्र प्रेषित नहीं किया गया है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी को पत्र भेजने का निदेश देना चाहती है और अबतक विलम्ब करने वाले दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना चाहती है; यदि हां तो कब तक ?

जल जमाव से मुक्ति

*274 **प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि अंडरग्राउंड नाले की सफाई में सुपर सकर मशीन काफी कारगर साबित हुई है, लेकिन पटना नगर निगम के पास यह मशीन उपलब्ध नहीं है, जिससे निगम कमियों को नाले की सफाई करने में काफी परेशानी हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि सुपर सकर मशीन के अभाव में मजदूरों द्वारा नाले के अंदर जाकर गाद की निकासी करना खतरे से खाली नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम द्वारा सभी अंचलों में सुपर सकर मशीन खरीदने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था, जो कागज पर ही सिमट कर रह गया है ;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बरसात के पहले नालों की उड़ाही हेतु सुपर सकर मशीन खरीदने का विचार रखती है, ताकि शहर में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न न हो ?

नई तकनीक कब तक

*275 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

सूचना एवं जनसम्पर्क :-

क्या मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में छपी लोकहित की महत्वपूर्ण खबरों का स्थानीय प्रशासन अथवा विभाग द्वारा निष्पादित नहीं किये जाने से सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगता है ;

(ख) क्या यह भी सही है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनके गुण-दोष तथा तथ्यों-साक्ष्यों की वैधता के आधार पर सक्षम कार्यालय/सचिवालय द्वारा त्वरित निष्पादन किया जा सकता है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार संबंधित आशय का समाधान स्थापित कानून/प्रावधान के तहत त्वरित रूप से करने हेतु नई तकनीक लाने का विचार रखती है, यदि हां तो कैसे, नहीं तो क्यों ?

अधिनियम में संशोधन

*276 **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 7 दिसम्बर, 2018 से सौ रुपये में पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री कराने की सुविधा दी है ;

(ख) क्या यह सही है कि 7 दिसम्बर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक राज्य में पारिवारिक बंटवारे का निबंधन कितना हुआ है और पारिवारिक बंटवारे के निबंधन के लिए कितना आवेदन जमा है जिसका अभी तक निबंधन नहीं हुआ है ;

(ग) क्या यह सही है कि जिले के रेकॉड रूम व अंचलों से समुचित कागजात नहीं मिलने के कारण लोगों का डीड पेपर नहीं बन पा रहा है जिससे पारिवारिक बंटवारे के निबंधन का काम काफी धीमा है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार क्या पारिवारिक सम्पत्ति के बंटवारे में अधिनियम में संशोधन करना चाहती है, जिससे अधिक से अधिक लोग पारिवारिक बंटवारे का लाभ प्राप्त कर सके ?

स्ट्रीट लाईट कब तक

*277 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत विभिन्न वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया था, जिसके तहत पटना नगर निगम के विभिन्न वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाया जा चुका है;

(ख) क्या यह सही है कि पूर्व में लगाये गये स्ट्रीट लाइट अधिकांश खराब हो गये हैं जिसके कारण सड़कों पर घोर अंधेरा रहता है और विभाग द्वारा मरम्मती कार्य भी बंद कर दिया गया हैं;

(ग) क्या यह सही है कि फुलवारीशरीफ नगर परिषद् में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य विगत दो वर्षों से नहीं किया गया है, जिसके कारण वार्ड सं0- 11 एवं 10 में अधिकांश सड़कों पर अंधेरे के कारण चोरी, महिलाओं के साथ छेड़खानी एवं लूटपाट आदि की घटनाएं बढ़ गई हैं,

(घ) क्या यह सही है कि फुलवारीशरीफ नगर परिषद् में स्ट्रीट लाइट लगाने का टेंडर फरवरी, 2018 में हो चुका है, उसके बाद से कम्पनी द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य नहीं किया जा रहा हैं ;

(ड़) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जनहित में फुलवारीशरीफ नगर परिषद् के वार्ड संख्या– 11 एवं 10 में अविलम्ब स्ट्रीट लाइट लगाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

सड़क निर्माण में राशि का गबन

***278 श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि झंझारपुर नगर पंचायत वार्ड नं0-6 में बिहारी दास के घर से भागीरथ ठाकुर घर तक खरंजाकरण सड़क निर्माण के लिए वर्ष 2010- 2012 में विभागीय स्तर से चयन कर मापी कराने के पश्चात कार्यालय से स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि कार्यालय स्वीकृति के बाद अग्रिम राशि के उठाव के पश्चात कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्तिका संधारित कर संवेदक से मेलजोल कर राशि का गबन किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि वार्ड-16 के वर्तमान वार्ड पार्षद वर्ष 2012 से लगातार इस मामले में संलिप्त लोगों के ऊपर कार्रवाई हेतु आवेदन दर आवेदन देते आए है और आज तक कार्रवाई के नाम पर इस विषय को दबाने का प्रयास किया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार झंझारपुर नगर पंचायत के वार्ड-16 में सड़क निर्माण के नाम पर राशि का गबन करने वाले आरोपियों के ऊपर कार्रवाई कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सड़क एवं नाली का निर्माण

***279 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गया शहर के वार्ड नं0- 30 कटारी मुहल्ले में कटारी रोड में मुख्य सड़क से गांधी नगर मोहल्ला में श्री श्याम नारायण के घर तक सड़क एवं

नाली का निर्माण नहीं हुआ है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्थान पर सड़क एवं नाली का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सचिव के पद पर पदस्थापित

*280 **श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

सामान्य प्रशासन :-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग अधिनियम 1993 (संशोधित) अध्याय-II की कंडिका- '3' के '2'(घ) के अनुसार इस आयोग में सदस्य सचिव, जो बिहार सरकार के सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर के पदाधिकारी हैं या रह चुके हैं, को सदस्य सचिव के रूप में पदस्थापित किया जाना है;

(ख) क्या यह सही है कि विगत 15 वर्षों से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग में सदस्य सचिव के पद पर सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ही पदस्थापित किया जाता रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1993 (संशोधित) अध्याय-II की कंडिका '3' के '2' (घ) के आलोक में अब तक हुए नियम विरुद्ध सदस्य सचिवों की प्रतिनियुक्ति को रद्द कर बिहार सरकार के सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर के पदाधिकारी को सदस्य सचिव के पद पर पदस्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बिचौलिया के माध्यम से खरीदगी को समाप्त

*281 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

सहकारिता :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिले में इस साल 1,32,000/- टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तमाम हो- हंगामे के बाद भी मात्र 30 हजार टन धान की खरीद हो सकी है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त खरीदगी बिचौलियों के माध्यम से की गयी जिस

कारण किसानों को समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हो सका;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खरीदगी की इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

समर्थन मूल्य का उचित लाभ

***282 श्री रजनीश कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

सहकारिता :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिले में गेहूं उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य का उचित लाभ नहीं मिल रहा है ;

(ख) क्या यह सही है कि जिले में गेहूं उत्पादन के अनुरूप गेहूं अधिप्राप्ति केन्द्र नहीं खोला गया है, जिसके कारण किसानों को अपना गेहूं बिचौलिये के हाथों औने-पौने दामों में बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उपर्युक्त जिले में गेहूं उत्पादन के अनुरूप गेहूं अधिप्राप्ति केन्द्र खोलने का विचार रखती है जिससे कि किसानों को समर्थन मूल्य का उचित लाभ मिल सके , यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति कब तक

***283 श्री हरिनारायण चौधरी (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर उर्फ समशुद्दीनपुर जिला में माल गोदाम चौक से मिडिल स्कूल चौक तक बिहार सरकार की जमीन है जिसका खेसरा नं0- 231, खाता नं0- 55 है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार सरकार की उक्त जमीन अतिक्रमित है तथा इस जमीन के बाद नगर परिषद का नाला है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड-"क" पर अंकित अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

स्टैंड की एजेंटी कब तक

*284 **श्री सी.पी; सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बक्सर जिला के बक्सर प्रखंड में कमरपुर पंचायत के बलुआ ग्राम में स्थित आहर, पोखर में संगृहीत पानी मवेशी के पीने के लिए और गांव में आग लगने पर आग बुझाने में काम आता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में स्थित पोखर की जमीन जिसका मौजा-बलुआ, खाता नं.- 185, खेसरा नं.- 784, रकबा- 0.59 डिसमिल है, का कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड-'ख' पर अंकित पोखर की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

*285 **श्री संजय प्रकाश (विधान सभा):**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण :-

क्या मंत्री,खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना में अवैध डीजल बिक्री के मामले सामने आए है;

(ख) क्या यह सही है कि आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के पंपों पर सुरक्षा की अनदेखी के मामले पकड़े गए हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या ऐसे दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है?

अतिक्रमण से मुक्ति

*286 **श्री रामचन्द्र भारती (मनोनीत):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बक्सर जिला के बक्सर प्रखंड में कमरपुर पंचायत के बलुआ ग्राम में स्थित आहर, पोखर में संगृहीत पानी मवेशी के पीने के लिए और गांव में आग लगने पर आग बुझाने में काम आता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में स्थित पोखर की जमीन जिसका मौजा- बलुआ, खाता नं.- 185, खेसरा नं.- 784, रकबा- 0.59 डिसमिल है, का कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड-'ख' पर अंकित पोखर की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रशासनिक कार्रवाई कब तक

***287 श्री सलमान रागीब (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सोनपुर अंचल के प्लॉट संख्या- 6637, 6643 एवं 6640, रकबा 19 बीघा 08 कट्ठा 5 धूर, जमाबंदी संख्या- 956, 25/1, 205 जो पटना शहर में हैं, पर उप महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गुलजारबाग द्वारा अवैध रूप से दखल- कब्जा कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त भूखंड का न तो विधिवत अधिग्रहण किया गया है और न ही भू-स्वामी को इसके लिए नियमानुसार मुआवजा दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि भू-स्वामी मो. सईद इस्माईल जाफरी एवं नजम अली के परिवार वालों के द्वारा दखल- कब्जा के विरुद्ध कई बार आवेदन दिया गया, परन्तु संबंधित अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं कर विषयवस्तु को टाला जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त जमीन के दखल- कब्जा के विरुद्ध नियमानुसार मुआवजा का शीघ्र भुगतान करना चाहती है और वांछित व्यक्ति को मुआवजा से वंचित रखे जाने वाले जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

अधिनियम का अनुपालन

***288 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री,नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि है कि विक्रेता अधिनियम, 2014 के अनुसार बिहार में नियमावली बनाई गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नियमावली का अनुपालन विभागीय अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

तालाब का जीर्णोद्धार

*289 **डा. दिलीप कुमार जायसवाल (पूर्णिया, अररिया स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा शहर के हराही एवं दिग्घी तालाब में आसपास के क्षेत्र सहित दरभंगा स्टेशन का गंदा पानी, मलबा एवं कचरा का प्रवाह होता है और इस कारण तालाब का पानी काला हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि तालाब के जीणोद्धार एवं पानी की सफाई की कोई भी कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई है जिसके कारण ऐतिहासिक शहर का ऐतिहासिक तालाब लोगों के जान-माल के नुकसान का कारण बन रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन दो तालाबों के जल को प्रदूषण मुक्त करने, कचरा एवं मलबा तालाब में फेंकने से रोकने एवं तालाब के जीर्णोद्धार हेतु कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

रोक कब तक

*290 **श्री राजेश राम (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के भूतपूर्व जमींदारों द्वारा जमींदारी उन्मूलन के पूर्व गैरमजरुआ एवं बकाश्त भूमि की बंदोबस्ती की गई है जो रैयतों के दखल - कब्जा में शांति पूर्ण रही है तथा उसकी खरीद -बिक्री भी होते आयी है तो किन परिस्थतियों में

उक्त जमीनों के हस्तानांतरण पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार के द्वारा जमीनों के हस्तानांतरण पर रोक लगाए जाने से राज्य के अंचलों में दाखिल -खारिज के लगभग 3,80,000 मामले लंबित है और जमीनों का हस्तानांतरण नहीं होने के कारण आम जनता काफी परेशान है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में जमीनों के हस्तानांतरण पर लगी रोक को हटाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों? आवश्यकता ही अविष्कार की जननी है ।

पक्की सड़क का निर्माण

***291 श्री सोने लाल मेहता (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री,नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि है पुराना सचिवालय स्थित बिहार सचिवालय भोजशाला में आम पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को आने- जाने में सहूलियत हेतु विभाग द्वारा पक्की सड़क नहीं बनाई गई है;

(ख) क्या यह सही है कि पुराना सचिवालय से बिहार सचिवालय भोजशाला तक कच्ची सड़क रहने से बरसात के दिनों में आम पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवागमन करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार यह बतलाना चाहती है कि समानता के सिद्धांत पर आमजन के आवागमन में सहूलियत हेतु पुराना सचिवालय से बिहार सचिवालय भोजशाला तक कच्ची सड़क को पक्की सड़क में तब्दील करना चाहती है?

जल जमाव से मुक्ति

***292 श्री सच्च्दानिंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सारण (छपरा) जिलान्तर्गत सदर प्रखंड के पंचायत साढ़ा के (प्रभुनाथ नगर मुहल्ला) में खेल मैदान में हमेशा जल जमाव बना रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मैदान में जल जमाव होने के कारण गंभीर महामारी फैलने की संभावना बनी हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मैदान को जल जमाव से मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?